आवश्यक सूचना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना, राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की निविदाएं दिनांक–31.10.2011 को आमंत्रित की गयी थीं एवं निविदा फार्म की बिक्री पूर्वान्ह–10:00 बजे से अपरान्ह–01:00 बजे तक तथा निविदाएं उसी दिन अपरान्ह–01:00 बजे से 04:00 बजे तक निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जाने का विज्ञापन सम्मानित समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा, स्वतंत्र भारत, दैनिक आज इलाहाबाद में प्रकाशित कराया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुये पुनः निविदाएं दिनांक–05.11.2011 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो जिला पंचायत कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में अपरान्ह–03:0 बजे तक डाले जायेंगे तथा उसी दिन अपरान्ह–04:00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा फार्म की बिक्री दिनांक–04.11.2011 को कार्यालय समय में पूर्वान्ह–11:00 बजे से 05:00 बजे तक की जायेंगी। आमंत्रित टेण्डर के नियम एवं शर्ते वहीं होंगी, जो दिनांक–20.10.2011 के लिये विज्ञापित किये गये थे।

(रमेश कुमार)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, चित्रकूट।

कार्यालय जिला पंचायत, चित्रकूट।

पत्र संख्या– 581 /बी0आर0जी0एफ0/निविदा/जि0पं0चि0/2011–12/दिनांक–25-10-2011

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, चित्रकूट की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि दिनांक–04.11.2011 एवं 05.11.2011 को पूर्वान्ह–10:00 बजे से 05:00 बजे तक निविदा प्रकिया सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु पर्याप्त शसस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी, चित्रकूट को तद्नुसार सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट को तद्नुसार अनुपालनार्थ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय, उप जिलाधिकारी/सदस्य, टेण्डर समिति को तद्नुसार सूचनार्थ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चित्रकूट को सूचनार्थ प्रेषित।
9. अभियन्ता, जिला पंचायत, चित्रकूट को इस आशय से कि निर्धारित तिथि को समय से उपस्थित होकर निविदा की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. विज्ञापन व्यवस्थापक, सम्मानित समाचार पत्र–"हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, कानपुर" प्रकाशन को इस आशय से कि उक्त विज्ञापन अगले अंक में कम से कम स्थान पर (8 प्वाइंट स्पेस में) प्रकाशित कर विज्ञापित समाचार–पत्र की दो प्रतियों सहित बिल जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट द्वारा सत्यापित कराकर भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
11. जिला पंचायत, चित्रकूट/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/लोक निर्माण विभाग/ग्रा0अभि0 सेवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. जिला पंचायत, चित्रकूट के समस्त पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

रमेश कुमार 25.10.2011
अध्यक्ष
जिला पंचायत, चित्रकूट।